न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्याः 20 / 2014
दर्ज दिनांकः 23 / 05 / 2014
निर्णय दिनांक : 23 / 02 / 2018

1. सवाईराम पुत्र मूला
2. बद्री पुत्री मूला
3. रामभुज पुत्र मूला
4. सोहनी पत्नि मूला
5. जगदीश पुत्र लाला
6. छगना पुत्र लाला

समस्त जाति जाट, निवासीः चांदमाखुर्द तहसील फागी, जिला जयपुर।

......प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. शंकर पुत्र पूराराम
3. बाबूलाल पुत्र पूराराम
4. कैलाश पुत्र हरदेव
5. लालचंद पुत्र हरिनारायण
6. गोविन्दनारायण पुत्र रामपाल
7. गोरधन पुत्र हरिनारायण
8. नन्ची देवी पत्नि हरिनारायण

समस्त जाति बलाई, निवासीः ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

9. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा फागी, जिला जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 136 एल.आर. एक्ट

बाबत दुरूस्ती इन्द्राज नक्शा तरमीम

उपस्थितः

श्री उदय सिंह चौधरी एडवोकेट
श्री बलविन्द्र सिंह चौधरी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री रामावतार सैन एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता प्रति. सं. 2 ल. 5, 7 एवं 8
श्री शंकर लाल रैगर एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता प्रति. सं. 6

निर्णय दिनांकः **23/02/2018**

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की आराजीयात खसरा नंबर 294/475 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम चांदमाखुर्द, तहसील फागी में स्थित है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 काबिज काश्त एवं खातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार खसरा नंबर 294/465 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम चांदमाखुर्द, तहसील फागी, जिला जयपुर का अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 काबिज काश्त एवं खातेदार काश्तकार है एवं खसरा नंबर 294/470 रकबा 10 बीघा के अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 व 5 लगायत 6 काबिज काश्त एवं खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजीयात में प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 294/475 व अन्य आराजीयात की तरमीम तत्कालीन राजस्व कारकुनानो ने कर रखी थी जिसका राजस्व अभिलेखो में अंकन किया जाकर प्रार्थीगण को दिनांक 19/08/1992 को नियमानुसार नकल फीस लेकर क्रमांक 1529 दिनांक 19/08/1992 को हल्का पटवारी द्वारा जारी किया गया था जिसके अनुसार प्रार्थीगण ने अपनी आराजीयात को काफी उन्नत व विकसित कर उपजाऊ बना रखी है तथा उक्त आराजीयात में एक पुख्ता कुंये का निर्माण भी कर रखा है तथा उक्त कुंये से अपनी उक्त आराजीयात का डीजल ईजन द्वारा पिलाई करते आ रहे है। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात की खसरा गिरदावरी में भी कुंये

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

गै.मु. चाह 01 बिस्वा का अंकन है। आराजीयात खसरा नंबर 294/465 व 294/470 की तरमीम पूर्व में नहीं हो रखी थी तथा बाद में तरमीम की गयी है जो मौके पर काबिज अनुसार नहीं की जाकर भिन्न रूप से अर्थात प्रार्थीगण के काबिज स्थान पर अप्रार्थीगण की तरमीम कर दी गयी तथा प्रार्थीगण का जो कुंआ गै.मु. चाह को भी खसरा नंबर 294/470 की आराजीयात में दर्शित कर रखा है जबकि मौके पर प्रार्थीगण अपनी आराजीयात पर पूर्व से की गयी तरमीम सन् 1992 में जारी नक्शा ट्रेस के आधार पर काबिज काश्त है और अप्रार्थीगण की आराजी प्रार्थीगण की आराजी से उत्तरी दिशा की ओर है। प्रार्थीगण की आराजी व अप्रार्थीगण की आराजी के मध्य अप्रार्थीगण ने अपनी आराजीयात के दक्षिणी सींव मेर पर काफी बडी डोल लगाकर शीशम के पौधे लगा रखे है जो यह दर्शित करती है कि प्रार्थीगण की आराजीयात की उत्तरी सींव व अप्रार्थीगण की आराजी दक्षिणी सींव पर अप्रार्थीगण ने बडी डोल लगा रखी है और जिसमे शीशम के पौधे लगा रखे है और उसी अनुसार मौके पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अब तक शांति पूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है जो वर्तमान तरमीम की गयी है जो गलत है तथा विधि अनुसार दुरूस्त किये जाने योग्य है, उक्त तरमीम की जो त्रुटि हुई वह मौके पर कब्जे के विपरीत की जाकर तरमीम कर दी गयी जिससे प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 294/575 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा का नक्शे में रकबा काफी कम कर दिया गया है जबकि विधि अनुसार राजस्व कर्मचारियो का इस प्रकार से तरमीम करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था राजस्व कर्मचारियो द्वारा बिना प्राधिकारी आदेश के इस प्रकार की तरमीम नहीं की जा सकती है राजस्व कर्मचारियो द्वारा किया गया कृत्य पूर्णतया विधि विरूद्व है तथा प्रार्थीगण को बिना कोई सूचित किया व बिना सुनवाई का अवसर दिये ही उक्त नक्शो में फेरबदल कर तरमीम की गयी है जो प्रार्थीगण उक्त नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम को दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। उक्त नक्शा ट्रेस में हुई त्रुटि की जानकारी प्रार्थीगण को नहीं थी परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 द्वारा उक्त नक्शे में हुई गलत तरमीम से अप्रार्थीगण की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया तथा दिनांक 18/03/2014 को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि हाल फसल को कटने के पश्चात हम हमारी उक्त आराजीयात की नाप चौक कराकर जो वर्तमान

उपखण्ड अधिकारी, फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

नक्शे के अनुसार तरमीम है उसके अनुसार काबिज होगे तथा तुम्हे उक्त गलत तरमीम के आधार पर बेदखल किया जावेगा तथा तुम्हारे कुंये को भी हमारी जमीन में मिलाकर जमीन पर जबरन कब्ज करेगे तुमने किसी प्रकार का विरोध किया तो हम अनुसूचित जाति के व्यक्ति है जो तुम्हारे खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम के तहत झूंठे मुकदमे लगाकर मुकदमे में फंसाकर जबरन कब्जा हमें सुपुर्द करने के लिये मजबूर करेगे जिससे प्रार्थीगण को अपने हितो की रक्षार्थ यह तरमीम दुरूस्ती प्रार्थना पत्र पेश किया जाना लाजिमी हुआ है। अप्रार्थीगण अपने मंसूबे में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ में नहीं की जा सकेगी पक्षकारान के मध्य व्यर्थ में मुकदमेबाजी बढेगी प्रार्थीगण अपनी आराजी से वंचित हो जावेगे जिनको न्यायहित में रोका जाना आवश्यक है इसलिये प्रार्थना पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की आराजी की वर्तमान तरमीम को हजफ फरमाया जाकर तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा जारी नक्शा ट्रेस क्रमांक 1529 दिनांक 19.08.1992 के आधार पर प्रार्थीगण की आराजी की नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला-जयपुर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। दिनांक 28.08.2015 को अप्रार्थी सं. 2 ल. 5, 7 व 8 की ओर से श्री रामावतार सैन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 18.09.2015 को अप्रार्थी सं. 6 की ओर से श्री शंकर लाल रैगर एडवोकेट ने वकालतनामा एवं इकबालिया जवाब पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 29.07.2016 को वकील अप्रार्थी सं. 2 ल. 5, 7 व 8 ने जवाब पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 30.05.2017 को अप्रार्थी सं. 1 की ओर से पैरोकार राज0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। जवाब का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन तहसीलदार फागी को मौका अनुसार नक्शे कुरैजात प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी करवाई गई। तहसीलदार फागी से नक्शे कुरैजात प्राप्त हुये, शामिल पत्रावली किये गये।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

तहसीलदार फागी ने अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किये है कि वर्तमान में पटवारी के पास उपलब्ध नक्शा लट्ठा में आराजी खसरा नंबर मूल 294 में करीब 17 आवंटी है तथा नक्श लट्ठा का अवलोकन करने पर सभी तरमीम एक साथ किया जाना उचित प्रतीत होती है। पटवारी के पास उपलब्ध नक्शा लट्ठा में मूल खसरा नंबर 294 की सभी तरमीम एक साथ की हुयी है किन्तु वाद में अंकित खसरा नंबरान की रकबा बरारी करने पर उक्त तीनो खसरा नंबरान का रकबा 22 बीघा के करीब बैठता है जबकि खातेदारी कुल 29.10 बीघा दर्ज रिकॉर्ड है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मूल खसरा नंबर का रकबा ही कम है। वादी व प्रतिवादी की सहमति से ऐवरेज के हिसाब से रकबा कम करते हुये तरमीम दुरूस्ती संभव है।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, जवाब प्रार्थना पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार फागी नक्शे कुरैजात इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया विवादग्रस्त आराजीयात के खसरा नंबरान की नक्शा ट्रेस में हुई तरमीम में त्रुटि है।

चूंकि पक्षकारान ने तहसीलदार फागी से प्राप्त नक्शे कुरैजात अनुसार तरमीम किये जाने में अपनी पूर्ण सहमति प्रकट की है, न्यायहित में प्रार्थी प्रार्थना पत्र तहसीलदार फागी से प्राप्त नक्शे कुरैजात अनुसार स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार फागी को आदेशित किया जाता है कि नक्शे कुरैजात अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमद दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23/02/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)